

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996
(DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) REGULATIONS, 1996

003537 सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS PARTICIPANT

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
- I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made thereunder and with the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby grants a certificate of registration to

REGISTRATION

**The Surat Peoples Co Operative Bank Limited
Vasudhara Bhavan,
Timaliwad, Navapura,
Surat - 395001**

को अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम और उनके अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है।

as a participant subject to the conditions specified in the Act, the Depositories Act and the regulations made thereunder.

II. सहभागी की रजिस्ट्रीकरण संख्या है :

II. Registration Number for participant is

IN-DP-652-2021

III. जब तक नवीकृत न किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

से **REGISTRATION** तक विधिवान्य है।

III. Unless renewed, the Certificate of Registration is valid from

22/02/1999

**This Certificate of registration shall be valid for permanent, unless
suspended or cancelled by the Board**



स्थान Place: मुंबई/Mumbai

दिनांक Date:

November 8, 2021

आदेश द्वारा
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और उसकी ओर से
By order
For and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

Aradhana Verma
ARADHANA VERMA

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory